(43)

ई–मेल/निबंधित डाक

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7. सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक – ई०एल०एस०–7/2019– 4292 पटना, दिनांक 04 मई, 2019 ई0।

प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय:– **लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर मास्टर ट्रेनर, श्री कैलाश प्रसाद सिन्हा, प्रधानाध्यपक, मध्य विद्यालय, केशोपुर, प्रखण्ड– झाझा, जिला– जमुई की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रिता को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिये जाने के कारण उनकी पत्नी मो0 रीना कुमारी को ₹10,00,000/– (दस लाख रूपये) मात्र का अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति।**

आदेश:– **स्वीकृत।**

2. यह राशि मांग सं०–06, मुख्यशीर्ष 2015–निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष–0001–लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06–2015001050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित राशि से विकलनीय होगी।
3. अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–वि (27) पे0 को0–78/05–2796 वि0(2) दिनांक 01.04.2009, संकल्प सं0–वि0 (27) पे0को0–78/05–451 वि0 (2) दिनांक 09.04.2014 एवं संकल्प सं0–608 वि0 (2) दिनांक 07.05.2014 में निहित प्रावधान एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–1099/निर्वा० दिनांक 25.04.2019 तथा पत्रांक 1122 दिनांक 30.04.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में दी जा रही है।
4. अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग सं०–06, मुख्यशीर्ष 2015–निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष–0001–लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06–2015001050001 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा स्व0 कैलाश प्रसाद सिन्हा की पत्नी मो0 रीना कुमारी की उचित पहचान के उपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
6. जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई, स्वीकृत राशि के भुगतान के पूर्व स्व० कैलाश प्रसाद सिन्हा के आश्रितों से यह लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि स्व0 सिन्हा के आश्रितों को सरकार के अन्य किसी विभाग/उनके पैतृक विभाग से अनुग्रह अनुदान/बीमा की राशि प्राप्त नहीं किया गया है।

4/5
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–7/2019– 4292 पटना, दिनांक 04 मई, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– पत्नी मो0 रीना कुमारी, पति– स्व0 कैलाश प्रसाद सिन्हा, सा0– पिपराडीह, पो0+थाना– झाझा, जिला– जमुई, पिन– 811308 को सूचनार्थ प्रेषित।

4/5
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–7/2019– 4292 पटना, दिनांक 04 मई, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जमुई को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–7/2019– 4292 पटना, दिनांक 04 मई, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–7/2019– 4292 पटना, दिनांक 04 मई, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला को स्वीकृत राशि के विरूद्ध शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

4/5

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।